निर्णय बइजलास श्री के.आर.चौहान सहायक कलक्टर(RAS) देवगढ़

प्र.सं 3/2018 प्रार्थना पत्र   निर्णय दिनांक21.3.2018

अनवान

1. श्री देवी सिंह पिता अमर सिंह राजपुत बालिग नि. दौलाजी का खेड़ा (देवगढ़)
2. *श्री पुरण सिंह पिता अमरसिंह राजपूत बालिग नि. दौलाजी का* खेड़ा (देवगढ़)

..........प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री भीकसिंह पिता सवाईसिंह राजपुत नि. दौलाजी का खेड़ा (देवगढ़)

.......विपक्ष

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111,128 राज. ले. रे. एक्ट

उपस्थितः– श्री विजयकुमार वकील प्रार्थी

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ की ग्राम देवगढ़ पटवार हल्का देवगढ़ तहसील देवगढ़ में प्रार्थीगण के स्वामित्व आधिपत्य व खातेदारी कबजे की भूमि स्थित हैं जिसके खाता संख्या 53 आराजी नम्बर 25 रकबा 5.00, आराजी नम्बर 26 रकबा 6.04, आराजी नम्बर 27 रकबा 0.5 तथा आराजी नम्बर 28 रकबा 0.16 कुल किता 4 रकबा 12.0 बीघा हैं। उक्त वार्णित उलिया आराजीयात पर प्रार्थीगण का निर्बाध रूप से काश्त करते आ रहे हैं किन्तु प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि के चारों तरफ पत्थर की पक्की बाउण्डी अथवा सीमा चिन्ह नहीं होने से विपक्षीगण जो प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि के सीमा से मिलते हुए पड़ौसी हैं, हर समय फसल बवाई तथा कटाई के सीमा सम्बधित विवाद करते रहते हैं जिससे प्रार्थी को अनावश्यक मुकदमें बाजी के लिये विवश होना पड़ता हैं। मौके पर अशांति कायाम रहती हैं। जिससे प्रार्थीगण उसकी भूमिका

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला–राजसमन्द

शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग काश्त वगैरह नहीं कर पा रहें हैं यदि प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि की बादनपती पत्थरगढी हो जाती है तो इस समस्या का हमेशा हमेशा के लिए समाधान हो जाऐगा तथा प्रार्थीगण उकसी भूमिका का शन्तिपूर्वक काश्त उपयोग उपभोग वगैरह कर सकेगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर प्रार्थीगण की उक्त वर्णित खातेदारी भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये। प्रत्युतर विपक्षी गण ने कोई जवाब पेश नहीं किया बल्कि विपक्षी को सम्मन जारी हो जाने पर भी अनुपस्थित रहे जिसपर उनके विरूद्ध एकतरफा कारवाई की गई। वकील प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 4 के विरूद्ध को कारवाई नहीं करने बाबत निवेदन किया जिसपर विपक्षी संख्या 4 के विरूद्ध कारवाई डोप की गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस में तर्क दिया की प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि के चारों तरफ पत्थर की बाउण्डी अथवा स्थाई सीमा चिन्ह नहीं हैं जिससे विपक्षीगण जो प्रार्थीगण की भूमि से मिलते हुए पड़ोसी है हर समय फसल बुवाई व कटाई के प्रार्थीगण की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। कभी प्रार्थीगण की भूमि को हांक लेते है कभी घास फसल काट लेते हैं यदि प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि की बादनपती पत्थरगढी हो जाती हैं तो इस समस्या का स्थाई समाधान हो जायेगा।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील प्रार्थीगण की बहस पर ममन किया। ग्राम देवगढ़ पटवार हलका देवगढ़ तहसील देवगढ़ की नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 में प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार हैं। खातेदार उसके खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी करा सकता हैं।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा ग्राम देवगढ़ पटवार हलका देवगढ़ तहसील देवगढ़ में स्थित प्रार्थी गण की खातेदारी खाता संख्या 53 आराजी

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

नम्बर 25 रकबा 5.00, आराजी नम्बर 26 रकबा 6.04, आराजी नम्बर 27 रकबा 0.5 तथा आराजी नम्बर 28 रकबा 0.16 कुल किता 4 रकबा 12.0 बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे की प्रार्थीगण से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा करा पक्षकारान को सूचित करा मौके पर पत्थरगढ़ी की जाकर रिपोर्ट पैश करें।

पत्रावली फैसल शुमार को नम्बर से कम की जावें। निर्णय आज दिनांक 21.3.2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
देवगढ़ जिला राजसमंद

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द